"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयनं क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 जून 2006—ज्येष्ठ 26, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2006

क्रमांक एफ 4-13/2002/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री फखरुदीन, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 24 मार्च, 2006 से 31 मार्च, 2006 तक (आठ दिवस) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति एवं दिनांक 1 एवं 2 अप्रैल, 2006 के सार्वजनिक अवकाश लाभ की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. सेजकर, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 24 मई 2006

क्रमांक ई-7/17/2004/1/2.—श्री एस. व्ही. प्रभात, आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को दिनांक 15-5-2006 से 3-6-2006 तक (20 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13, 14 मई एवं 4 जून, 2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री प्रभात, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभात, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री प्रभात के उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती निहारिका बारिक, अपर आवासीय आयुक्त, अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली का कार्य सम्पादित करेंगी.

6. इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 9-5-2006 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

क्रमांक ई-7/3/2003/1/2.—डॉ. आलोक शुक्ला, भा.प्र.से., मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग., रायपुर को दिनांक 5-6-2006 से 19-6-2006 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 4-6-2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. शुक्ला, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग., रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. शुक्ला, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. शुक्ला, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. डॉ. शुक्ला, भा.प्र.से. के उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से., संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग. अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग. का कार्य सम्पादित करेंगी.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

क्रमांक ई-7/20/2004/1/2.—श्री आर. सी. सिन्हा, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 1-6-2006 से 30-6-2006 तक (30 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिन्हा, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिन्हा, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिन्हा, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

क्रमांक ई-7/37/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16-3-2006 द्वारा श्री डी. के. श्रीवास्तव, भा.प्र.से., कलेक्टर, बस्तर, जगदलपुर को दिनांक 8-5-2006 से 19-5-2006 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2006

शुद्धि-पत्र

क्रमांक एफ 5-43/दो/आठ-परि./2006.—छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-43/दो/आठ-परि./2005, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 जो छत्तीसगढ़ "राजपत्र" दिनांक 4 नवंबर, 2005 को भाग-एक के पृष्ठ क्रमांक 1789 पर हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित की गई थी, के हिन्दी अधिसूचना में छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा-14 त्रुटिवश प्रकाशित हुआ है, उसके स्थान पर धारा-24 पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 24 मई 2006

फा. क्र. 1216/3(बी)/44/2006/21-ब (मेरिट क्रमांक-44).—राज्य शासन, श्री वेन्सेस्लास टोप्पो आत्मज श्री मथियस टोप्पो को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

क्रमांक 4986/डी-1255/21-ब/छ.ग./06.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्र. 274/दो-2-17/2001 (भाग-दो)/गोपनीय/2006, दिनांक 11 मई, 2006 के अनुपालन, में श्री यू. एस. मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, अंबिकापुर की सेवाएं छ. ग. मानव अधिकार आयोग रायपुर में विधि अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु एतदद्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

क्रमांक 4988/डी-1255/21-ब/छ.ग./06.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्र. 274/दो-2-17/2001 (भाग-दो)/गोपनीय/2006, दिनांक 11 मई, 2006 के अनुपालन में श्री दयाराम दयाल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जशपुर की सेवाएं छ.ग. मानव अधिकार आयोग रायपुर में उप-सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु एतदद्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मई 2006

क्रमांक एफ 1-29/2004/13-1.—छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील हो जाने के बाद भी इस अधिनियम की धारा 172 के प्रावधान अनुसार अंकित अवधि तक विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कार्यरत रहेगा. राज्य शासन, ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 192/13/ऊर्जा/06, दिनांक 2 मई, 2006 द्वारा श्री मनोज डे, मुख्य अभियंता, छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल को आगामी आदेश तक सदस्य (पारेषण एवं वितरण) छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल, नियुक्त किया गया है.

2. नियुक्ति की अवधि में सेवा शर्तें वही होगी जो पूर्व में मण्डल में कार्यरत अधिकारियों से सदस्यों की नियुक्ति के लिये निर्धारित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

क्रमांक/2395/बी-6/45/02/14-2.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि संचालनालय के 154 पदों की पद संरचना निम्नानुसार

स्वीकृत की जाती है :—

क्र. (1)	पद का नाम (2)	वेतनमान रुपये में (3)	संख्या (4)	रिमार्क (5)
	कृषि			
1.	संचालक कृषि	18400-22400	01	प्रतिनियुक्ति से
2.	अपर संचालक कृषि	14300-18300	02	-
3.	संयुक्त संचालक कृषि	12000-16500	02	-
4.	उप संचालक कृषि	10000-15200	03	-
5.	सहायक संचालक कृषि	8000-13500	06	-
6.	वरिष्ठ कृषि विकास अधि.	5000-8000	05	-
7.	मानचित्रकार	5000-8000	01	प्रतिनियुक्ति से
8.	निर्धारण निरीक्षक	4000-6000	01	डाइंग कैडर
	उद्यान			
9.	अपर संचालक उद्यान	14300-18300	01	-
10.	संयुक्त संचालक उद्यान	12000-16500	01	-
11.	उप संचालक उद्यान	10000-15200	01	-
12.	सहायक संचालक उद्यान	8000-13500	02	-
13.	वरिष्ठ उद्यान अधिकारी	5000-8000	03	-
	कृषि अभियांत्रिकी			
14.	संयुक्त संचालक कृषि अभियांत्रिकी.	12000-16500	01	-
15.	उप संचालक कृषि अभियांत्रिकी.	10000-15800	01	-
16.	सहायक संचालक कृषि अभियांत्रिकी.	8000-13500	01	-
17.	कृषि यंत्री	10000-15200	03	2 सुपरन्यूमेररी पद
18.	सहायक कृषि यंत्री/मुख्य निर्देशक.	8000-13500	01	-
19.	यांत्रिक सहायक	5000-8000	01	-
20.	संयुक्त संचालक लेखा	12000-16500	01	प्रतिनियुक्ति से
21.	उप संचालक लेखा	10000-15200	01	सुपरन्यूमेररी पद
22.	सहायक संचालक लेखा	8000-13500	02	प्रतिनियुक्ति से
23.	उप संचालक सांख्यिकी	10000-15200	01	प्रतिनियुक्ति से
24.	सहायक संचालक सांख्यिकी	8000-13500	01	प्रतिनियुक्ति से
25.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5500-9000	07	2 सुपरन्यूमेररी पद
26.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	5500-9000	04	-
27.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	4500-7000	05	-
28.	स्टेनोटाईपिस्ट	3050-4590	06	-
29.	अधीक्षक	5500-9000	01	-
30.	सहायक अधीक्षक	4500-7000	02	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	सहायक ग्रेड-1	4500-7000	10	-
32.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	16	5 सरप्लस
33.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	16	2 सरप्लस
34.	लेखापाल	4000-6000	03	-
35.	आडिटर	4000-6000	05	-
36.	सहायक प्रोग्रामर	5500-9000	01	-
37.	डाटा एण्ट्री आपरेटर ग्रेड-बी	3500-5200	05	-
38.	वाहन चालक	3050-4590	04	-
		2610-3540	03	-
39.	दफ्तरी	2610-3540	02	-
40.	भृत्य/चौकीदार	2550-3200	11	-
41.	भृत्य/चौकीदार (कन्टीन्जेंसी)	कलेक्टर दर पर	10	-
		महायोग	**154**	

2. उपरोक्त 154 पदों की पद संरचना निम्न शर्तों के अधीन मान्य किया जाता है :—

1. सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किया जावेगा.
2. स्वीकृत सभी पद स्थायी है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो.
3. पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस हेतु वित्त विभाग से पृथक से छूट प्राप्त नहीं कर ली जावें.
4. चतुर्थ श्रेणी के कोई भी पद आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) के पद सीधी भरती से नहीं भरे जायेंगे.

3. 1. उपरोक्त पदों में से अनुक्रमांक 1 से 8 एवं अनुक्रमांक 20 से 41 पर दर्शित पदों पर होने वाला व्यय मांग संख्या 13-कृषि (आयोजनेत्तर) मुख्य शीर्ष-2401-कृषि कार्य-001-निर्देशन और प्रशासन-4288-संचालनालय (मुख्यालय स्तर का अमला) के अंतर्गत विकलनीय होगा.

2. अनुक्रमांक 9 से 13 पर दर्शित पदों पर होने वाला व्यय मांग संख्या 13-कृषि (आयोजनेत्तर) मुख्य शीर्ष 2401-कृषि कार्य-119-बागवानी एवं सब्जियों की फसलें-655 एकीकृत उद्यान विकास की योजना के अंतर्गत विकलनीय होगा.

3. अनुक्रमांक 14 से 19 पर दर्शित पदों पर होने वाला व्यय मांग संख्या 13-कृषि (आयोजनेत्तर) मुख्य शीर्ष-2401 कृषि कार्य-113-कृषि इंजीनियरिंग, 903-कृषि यांत्रिकी संचालनालय की स्थापना के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 1/8/2230/चार B 5/03 दिनांक 2-1-2003 द्वारा महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर को पृष्ठांकित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2006

क्रमांक/2135/डी-15/74/2001-02/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, राज्य की समस्त मण्डी क्षेत्रों में विक्रय या क्रय या लाई गई या बेची गई कृषि उपज, लाख पर संपूर्ण मंडी शुल्क के भुगतान से दिनांक 18-10-2005 से एक वर्ष की कालावधि के लिए निम्न शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट देती है;—

"जब छत्तीसगढ़ में अवस्थित किसी लघु उद्योग इकाई या ग्रामोद्योग इकाई द्वारा क्रय किया जाता है और उद्योग और ग्रामोद्योग विभाग से यथास्थिति, लघु उद्योग इकाई या ग्रामोद्योग इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाता है, तो संबंधित मण्डी में उसे प्रस्तुत करना होगा."

Raipur, the 27th May 2006

No./2135/D-15/74/2004-05/14-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 69 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, exempt the payment of full market fees for the period of one year from the date 18-10-2005 on sale or purchase or bought or sold of lac, agriculture produce in all mandi areas in the state, subject to the following condition;—

"When the purchase is made by any small scale industry or village industry located in Chhattisgarh, a Registration Certificate as small scale industry unit or village industry unit from the Industry or Village Industry Department as the case may be is to be produced in the concern Mandi."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2006

क्रमांक-1063/774/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक 843/774/32/2006 दिनांक 21-4-2006 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना रायपुर (उपांतरित) 2011 के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत् उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	टिकरापारा	142	20,000 वर्गफुट	आवासीय	विशेषीकृत वाणिज्यिक (प्रेस)
		योग	20,000 वर्गफुट		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (उपांतरित) का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

क्रमांक-एफ 2-4/32/04.--एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य शासन ने सूचना क्रमांक 166/एफ 2-4/32/04 दिनांक 9-2-2004 द्वारा राजनांदगांव विकास योजना के अंतर्गत के ग्राम पेन्ड्री, लखौली, नंदई, पेमका, रेवाडीह, कोरीनभाठा, के उपांतरण प्रस्तावित किये गये हैं, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना राजनांदगांव के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा हेक्टर में	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 'क' के तहत् उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लखोली	197, 175, 176, 177/2, 192/2, 192/1, 191, 190, 168, 171/1, 171/2, 179, 189, 188, 187, 183, 182, 181, 440, 483, 484, 482, 439, 429, 441, 442, 443, 444/2, 434/2, 444, 441/1, 449/2, 458/2, 459, 461, 463/2, 463/3, 464/2, 464/1, 468, 467, 469, 464, 482, 483, 699, 700, 701, 703, 704, 705, 709, 706, 711, 710, 714, 715, 717, 719, 718, 720, 723, 724, 812, 726, 725, 733, 734, 803, 739, 789, 744/3, 766, 765, 485, 767/2, 767/1, 768/2, 768/1, 769 का भाग.	23.12	कृषि	यातायात (60 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग)
		485/1 का भाग	0.057	मा[illegible]	यातायात (60 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग)
2.	नंदई	81, 82, 88/5, 88/1, 86, 88/7, 88/9, 88/2, 88/3, 87/2, 87/4, 88, 89, 92, 93, 94, 94/1, 127/2, 128, 116/6, 130 का भाग.	5.66.5	आवासीय	यातायात (60 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	नंदई	188, 487, 187/2, 189, 174, 186, 187, 194, 185, 199, 198, 266 का भाग.	1.760	वाणिज्यिक	यातायात (60 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग)
		419, 420 का भाग	0.234	मार्ग	यातायात (60 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग)
	नंदई	207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 225, 266, 227, 229, 230, 245, 246, 247, 248/2, 1567, 1568, 1569, 1551, 1549, 1579, 1517, 1542, 1541, 1518, 1524, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1592/1, 1592/2, 1638, 1639, 1640, 1642, 1643, 1663, 1664, 1662,1661, 1659, 1668, 1669, 1670, 1675, 1676, 1673, 1669, 1672, 1674 का भाग.	11.574	कृषि	याातायात (60 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग)
3.	कोरीन भाठा	519, 518, 520, 524, 525, 528/3, 528/2, 528/1, 530/2, 529, 535, 537, 545/2, 543, 544, 545/1, 548, 549, 547 का भाग.	3.917	आवासीय	यातायात (60 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग)
4.	पेनका	1, 31, 32, 30/2, 39, 38, 37, 28, 33, 35, 37/1, 36, 37/3, 38, 39, 41, 42/4, 42/2, 42/3 का भाग.	6.758	कृषि	यातायात (60 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग)
	पेनका	45, 46/1, 19/1, 18, 17 का भाग	1.011	आवासीय	यातायात (60 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग)
		44 का भाग	0.097	मार्ग	यातायात (60 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग)
5.	रेत्राडीह	350/1, 354, 349, 353, 352, 356, 321, 328, 326, 320, 319, 315, 388/1, 389/1, 390/1, 391, 392/1, 392, 394, 393, 397, 395, 396, 396/1, 458, 457, 456, 455/1, 460/1, 475, 476/1, 478, 479, 473, 472, 490/1, 471, 490/2, 470, 491, 492/1, 492/3, 492/2, 493/1, 494/1 494/3, 514, 515, 506/3 का भाग एवं 327, 325, 322, 323, 324, 459.	14.144	कृषि	यातायात (60 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		508, 509, 510, 511, 512, 495 का भाग.	0.409	मार्ग	यातायात (60 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग)
6.	पेण्ड्री	738/2 का भाग	2.691	सार्व./अर्द्ध सार्व./शैक्षणिक	यातायात (60 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग)
		योग	**71.432**		
1.	पेण्ड्री	738/1 का भाग	8.093	सार्व./अर्द्ध सार्व./शैक्षणिक	वाणिज्यिक (यातायात नगर)
		योग	**8.093**		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर 3 प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई की गई. लोकहित में प्राप्त आपत्तियों को अमान्य करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण राजनांदगांव विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

क्रमांक/क/वा.भू. अ./प्र. क्र.-44, अ-82/वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	सोनतरा प. ह. नं. 31	3.29	कार्यपालन अभियंता, जलाशय परियोजना डिसनेट संभाग क्र.-3 तिल्दा (तुलसी) रायपुर (छ.ग.)	मंढ़ी वितरक नहर हेतु अर्जित की जा रही भूमि अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 मई 2006

क्रमांक/3541/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	सांगिन कछार प.ह.नं. 11	57.837	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव.	सूखा नाला बॅराज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 मई 2006

क्रमांक/3542/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	आसरा प.ह.नं. 12	92.012	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव.	सूखा नाला बॅराज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 मई 2006

क्रमांक/3543/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	भाठा बम्हनी प.ह.नं. 13	85.820	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव.	सूखा नाला बॅराज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव. के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 15 मई 2006

क्रमांक 69/भू-अर्जन/अ.वि.अ./03-अ/82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	पासीद प.ह.नं. 1	0.54	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद (छ.ग.)	पासीद जलाशय के मुख्य नहर एवं माइनर के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 26 मई 2006

क्रमांक 11/अ-82/सन्.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-देवरी, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.71 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
11	0.01
66	0.02
83	0.68
योग	0.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत पचपेड़ी जलाशय बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 मई 2006

क्रमांक 3555/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-बेलरगोंदी, प.ह.नं. 78

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.910 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
716/2	0.273
721	0.052
723	0.064
722/2	0.044
759/6	0.008
724/1	0.220
755/2	0.137
759/2	0.128
759/12	0.436
1345	0.072
824/6	0.072
805/1	0.049
753/3	0.089
753/1	0.024
730/4	0.064
753/2	0.056
730/5	0.100
754/3	0.080
754/5	0.089

(1)	(2)
757/1	0.004
754/4	0.052
756/2	0.089
756/3	0.004
755/1	0.113
759/1	0.080
759/7	0.328
759/13	0.004
824/2	0.258
756/6	0.040
759/3	0.048
755/3	0.096
755/5	0.101
759/11	0.097
1239/2	0.044
755/4	0.100
759/4	0.144
759/5	0.008
759/10	0.020
756/1	0.024
812	0.241
1254	0.530
762	0.089
801	0.120
804	0.056
805/3	0.061
805/2	0.029
727/1	0.056
809	0.049
810	0.061
813	0.560
1184/1	0.834
1184/2	0.262
1184/6	0.093
716/1	0.260
1235/2	0.060
1233	0.036
1235/1	0.191
1236/18	0.121
1236/1	0.170
1236/17	0.008
1238	0.298
1249	0.121
1252	0.048
1251/2	0.020
1255	0.370
1265	0.147
1260/2	0.040
1260/14	0.117
1260/3	0.040
1260/12	0.040
1260/13	0.202
1264/12	0.052
1261/1	0.121
1184/7	0.185
720	0.132
1261/3	0.057
1264/13	0.120
754/9	0.209
1260/4	0.040
1260/11	0.045
802	0.076
1251/1	0.097
711	0.112
717/1	0.004
722/1	0.048
730/1	0.096
808	0.049
1236/5	0.202
730/2	0.036
730/3	0.128
1253/2	0.028
1261/2	0.032
योग 92	10.910

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैराज के डूबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 मई 2006

क्रमांक 3556/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-दतरेंगाटोला, प.ह.नं. 55

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.930 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
97	0.048
644	0.140
98/1	0.008
98/2	0.142
107/1	0.020
107/2	0.060
108/1	0.160
598	0.081
601	0.053
111	0.040
112	0.081
109/1	0.200
113	0.100
114	0.080
202/1	0.430
203	0.080
652/1	0.060
216	0.016
217/1	0.077
218	0.008
221	0.340
219	0.200
220/2	0.020
641	0.238
220/1	0.020
602	0.040
293	0.100
292	0.073
253	0.008
600	0.080
295	0.320
605	0.098
626	0.231
623	0.280
625	0.300
630	0.080
627	0.136
648	0.100
628	0.144
633	0.032
634/4	0.052
634/6	0.280
645/1	0.169
650/2	0.016
652/2	0.016
643	0.120
645/2	0.080
649	0.123
201/1	0.092
109/2	0.060
217/2	0.049
634/2	0.081
634/5	0.060
651	0.008
योग 54	5.930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैराज के डूबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 3 मार्च 2006

भू-अर्जन प्र.क्र./08/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-कुनकुरी

(ग) नगर/ग्राम-घुईटांगर, प.ह.नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.248 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12	0.138
23/3	0.016
86	0.057
65/2	0.162
56	0.113
85/1	0.081
65/1	0.069
23/2	0.081
23/1	0.049
87/3	0.130
85/2	0.057
22/1	0.045
21	0.068
59	0.182
योग 14	1.248

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बलजोरा जलाशय योजना के बायीं मुख्य नहर चैन क्रमांक 109 से 136 एवं 161 से 177 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

भू-अर्जन प्र.क्र./03/अ-82/97-98.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-कुनकुरी

(ग) नगर/ग्राम-गट्टीबुडा, प.ह.नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.142 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
296	0.024
261	0.114
140/6	0.114
295/2	0.053
175	0.101
140/5	0.114
295/3	0.040
174	0.161
139/1	0.68
264/4	0.024
173	0.045
137/1	0.076
266/2	0.068
178	0.298
137/2 क	0.068
263	0.024
181/2	0.113
132/2	0.202
255/1	0.138
182	0.004
132/1	0.056
257/1	0.021
185/2	0.016
186/2	0.089
260/1	0.045
185/2 ग	0.021
140/2	0.045
योग 27	2.142

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लोवर सोरी व्यपवर्तन योजना के बायीं मुख्य नहर चैन क्रमांक 399 से 408 तथा केरसई शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

भू-अर्जन प्र.क्र./04/अ-82/98-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-ठेठेटांगर, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.597 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
173/4	0.081
390	0.121
381/6	0.081
181/4	0.040
412	0.040
218/2	0.020
437	0.101
435/10	0.040
470/6	0.121
414	0.061
229	0.040
297/1	0.081
300	0.032
533/4	0.040
181	0.049
180/2	0.081
393/1	0.101
381/3	0.020
218/1	0.024
427	0.129
435/1	0.049
435/11	0.040
422/2	0.049
218/3	0.049
234	0.081
298/1	0.101
293	0.073
413/1	0.065
180/1	0.242
398/1	0.101
381/2	0.040
470/7	0.081
423/1	0.040
426	0.020
435/3	0.008
433, 434/3	0.061
533/1	0.020
219	0.049
221/2	0.020
299	0.061
411/1	0.040
221/5	0.004
योग 42	2.597

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लोवर सीरी व्यपवर्तन योजना के दायीं मुख्य नहर चैन क्रमांक 107 से 220 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

भू-अर्जन प्र.क्र./12/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-भुमरा, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.773 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.162
4/2	0.044
66/2	0.004
2/2	0.036
4/3	0.045
66/3	0.085
3/1	0.069
5/1	0.121
67/1	0.207
योग 9	0.773

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बलजोरा जलाशय योजना के दायीं मुख्य नहर चैन क्रमांक 78 से 94.50 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

भू-अर्जन प्र.क्र./15/अ-82/98-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-खारीझरिया, प.ह.नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.836 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
350	0.162
551/2	0.045
412/2	0.016
538/3	0.073
414/5	0.040
411/1	0.021
520/2	0.021
518/1	0.064
410	0.021
519	0.101
466, 547/1 ख	0.040
409/2	0.061
498	0.081
412/3	0.029
522	0.061
योग 15	0.836

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लोवर सीरी व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर क्रमांक 01 एवं 02 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

भू-अर्जन प्र.क्र./16/अ-82/98-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-केरसई, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.144 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44	0.137
48/2	0.076
57/2	0.089
62/2	0.089
62/5	0.093
93/2	0.109
501	0.032
533	0.024
539	0.137
554	0.052
563/3	0.020
63/4	0.101
530	0.021
31/2	0.081
70/1	0.024
543/3, 550/2, 552/2	0.174
70/4	0.024
525/1	0.088
504	0.040
46	0.182
55	0.303
57/3	0.085
62/3	0.044
63/5	0.117
93/16	0.247
35/3	0.149
534	0.024
538	0.081
563/1	0.020
563/4	0.016
63/6	0.081
503/1	0.076
66/2	0.081
70/2	0.024
543/15, 529/3	0.081
73	0.137
225/3	0.044
35/2	0.117
48/1	0.088
57/1	0.089
57/4	0.085
62/4	0.068
63/2	0.182
515/2	0.198
529/3, 543/16	0.206
529/4, 543/16	0.166
558	0.022
563/2	0.020
62/5	0.021
63/8	0.048
495/2	0.088
68	0.121
70/3	0.081
543/9, 544/2, 546/1	0.109
528/1	0.036
516/2	0.097
528/2	0.089
योग 57	5.144

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लोवर सीरी व्यपवर्तन योजना के केरसई शाखा नहर चैन क्रमांक 70 से 162 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 23 मई 2006

क्रमांक 539/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-उत्तर बस्तर कांकेर

(ग) नगर/ग्राम-बरदेभाठा कांकेर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.24 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
450	0.02
451	8.95
455	10.09
455/476	0.18
योग 4	19.24

(2) सार्वजनिक प्रयोज़न का नाम-आवास गृह निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 21 अप्रैल 2006

क्रमांक-2 अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-मसिरा, प. ह. नं. 20+लोधिया, प.ह.नं. 53

(घ) लगभग क्षेत्रफल-243.480 हेक्टेयर+26.370 हेक्टेयर =269.850 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम - मसिरा	
605/1	0.430
610/2	0.500
690/1	0.380
1260	0.410
1387	0.170
1405	0.230
7	0.270
402	0.210
173	0.200
507	0.490
574	2.000
590	0.200
845	0.120
1571	0.250
608/1	0.280
1251/2	0.300
1493	0.110
1520	0.320
636/1	0.040
632/2	0.080
604/5	0.020
405	0.080
623	0.670
654	0.240
716	0.350
815	0.710
1268	0.400
1276	0.380
570/1	0.010
570/4	0.020
570/7	0.060
570/9	0.220
372/1651	0.700
294	1.220
500	0.200
556	0.390
846	0.920
1237	0.020
572	0.590
672	0.080
798	0.150

(1)	(2)	(1)	(2)
842	0.010	1447	0.110
531	0.030	1547	0.060
467	0.290	1472/1	0.145
779	0.200	399	0.210
1414/2	0.160	608/3	0.290
1462/2	0.400	606	0.400
1	0.270	607/1632	0.130
711	1.860	614	0.320
758	0.240	624	0.270
1269	0.290	575/2	0.280
1272	0.260	648	0.230
542	1.170	743	0.280
407	0.130	750	0.170
712	0.290	1284	0.070
789/1642	0.220	1286	0.170
636/7	0.060	563	0.110
653	0.240	581/3	0.190
1355	0.190	1434/1	0.070
580	0.570	1543/3	0.040
589	0.890	1543/5	0.060
701	0.300	1543/7	0.190
751	0.450	732	0.240
1245	0.640	736	0.260
1252	0.290	1261	0.470
730	0.280	775/1629	0.210
776	0.210	763/1702	0.300
1258	0.580	657	0.100
407/1713	0.060	737/1685	0.210
546/1718	1.100	723/1689	0.090
712/1717	0.390	723/1691	0.100
620/2	0.320	526/1694	0.100
636/2	0.230	765/1705	0.210
638/3	0.210	1365/1707	0.050
650	0.290	1410	0.070
703/3	0.140	763	0.120
722/1	0.080	1469	0.100
827/1	0.130	1481	0.090
725/1640	0.120	1484/1660	0.180
800	0.510	1549/1661	0.250
817	0.200	285	0.600
1421	0.440	289	0.200
1427	0.070	562	0.240
1430	0.030	596	0.180

(1)	(2)	(1)	(2)
828	0.160	1531	0.130
833	0.050	1282	0.230
837	0.030	473	0.130
1412	0.120	519	0.060
647	0.480	658	0.340
746	0.430	700	0.430
749	0.240	794	0.590
645	0.140	1397	0.160
745	0.160	579	0.450
748	0.190	616	0.180
1244	0.160	1255	0.050
1317	0.010	1375	0.580
1435	0.120	1382	0.360
1437	0.070	854	0.070
1514	0.120	679/2	0.030
1541	0.210	679/5	0.050
691	0.320	679/7	0.030
1465	0.090	698/2	0.190
1556	0.130	293	0.150
725/1	0.180	517	0.210
175	0.760	571	0.410
539	2.740	617	0.240
625	1.900	783	0.240
768	0.390	540	0.150
1368	0.370	1575	0.050
1376	0.080	458	0.200
1380	0.230	508	0.380
1403	5.800	510	0.340
1428	0.550	797	0.290
1439	0.900	689/1	0.520
1487	0.260	752	0.730
1396	0.240	777	0.080
1344	0.140	818	0.280
1475	0.240	1273	0.210
1512	0.140	1390	0.050
530/1698	0.060	692	0.160
656/1688	0.120	696/1	0.110
723/1690	0.240	1446/1654	0.080
739/1687	0.110	804	0.290
773/1704	0.270	1289	0.100
1365/1708	0.050	1583	0.210
673	0.080	181	0.040
840	0.010	516	0.280

(1)	(2)
545	0.340
697	0.250
801	0.280
821	0.750
1446/1653	0.140
1485/1	0.090
1486/2	0.090
725/2	0.120
661	0.280
663/2	0.460
726	0.330
1262/1	0.250
620/1	0.190
515/2	0.250
286/1	0.200
561	0.240
831/1	0.080
566	0.360
659	0.220
1361/1	0.060
1406/2	0.040
1419/1	0.130
1408	0.110
1426	0.040
1446/1	0.050
637/1	0.240
643/2	0.190
741/3	0.300
643/1	0.280
741/1	0.300
1399/2	0.050
529	0.070
843	0.040
1474/2	1.000
557	0.230
682	0.180
717	0.100
694	0.360
720	0.170
844	0.020
693	0.380
568	0.240
640	0.350

(1)	(2)
681	0.220
718	0.070
569	0.230
680	0.200
719	0.040
452/4	0.240
570/3	0.010
570/6	0.160
505/2	0.140
505/3	0.360
1248	0.150
1369	0.100
1429/1	0.080
472	0.190
548	0.170
618	1.040
668	1.230
704	0.680
734	0.060
775	0.280
769/1	0.140
1504	0.150
373	0.150
446	0.490
468	0.260
481	0.130
494	0.240
497	0.200
594	0.670
601	0.380
533	0.430
639	1.080
1263	0.460
1385	0.130
1392	0.240
1404	0.120
564	0.230
581/4	0.190
1506	0.260
1543/4	0.340
675	0.460
1537	0.160
1457	0.150

(1)	(2)	(1)	(2)
1461	0.210	453	0.720
695	0.100	471	0.240
1454	0.120	501	1.050
1484	0.190	504	0.220
710/3	0.040	588	0.350
710/6	0.030	592	0.450
1364/6	0.390	680	0.780
1508	0.090	642/1	0.200
1573/2	0.240	742/1	0.210
710/7	0.030	1285/1	0.130
1358	0.170	1373/1	0.060
1573/1	0.080	688	0.130
1362	0.130	1378	0.080
710/11	0.140	1407	0.240
1364/8	0.080	1417	1.090
1436	0.750	1453	0.360
1446/2	0.120	1460	0.140
1446/3	0.200	1467	0.080
807	0.870	1471	0.200
810	0.380	1486/1	0.110
1279	0.100	1524	0.080
1552	0.050	1545	0.360
1558	0.080	1552/1625	0.270
1498/1	0.140	1511/1663	0.030
1342	0.220	1444/1664	0.040
1357	0.110	1349/7	0.030
1360	0.060	604/8	0.030
1477	0.340	611	0.560
1359	0.150	621	0.850
1384	0.310	702	0.600
1411	0.550	705	0.190
1420	0.630	706	0.240
1449	1.000	721	0.070
1455	1.380	1424	0.330
1478	1.450	527	0.040
789	0.240	536	0.070
452/2	0.200	684	0.640
452/5	0.150	699	0.260
570/5	0.210	738	0.160
180	0.580	747	0.190
512	0.720	761	0.420
836	0.020	1574	0.400
1395	0.230	1581	0.480

(1)	(2)
286/2	0.180
518	0.200
595	0.180
829	0.100
1413	0.120
1473	0.190
608/2	0.210
710/4	0.160
1364/2	0.130
636/6	0.020
1422	0.190
1425	0.070
1431	0.090
1432	0.090
1441	0.200
1444	0.390
1445	0.090
1458	0.410
1466	0.470
1476	0.450
1483	1.520
1490	0.280
1496	0.240
1510	0.090
1522	0.360
1526	0.210
1527	0.050
1529	0.180
1540/1	0.250
1540/3	0.050
1442	0.070
709/2	0.070
1544/1	0.100
1553/1	0.090
1553/2	0.050
709/1	0.070
1544/2	0.110
1553/3	0.040
607	0.280
851	0.140
1463	0.130
1406/1	0.080
1418	0.010
1451/1	0.080
1452	0.210
1470	0.130
1485/2	0.090
708	0.160
604/1	0.280
641	0.280
803	0.410
805	0.230
1480	0.280
1546/1	0.090
567	0.210
679/4	0.150
679/8	0.210
698/1	0.300
465	0.220
479	0.080
1549	0.180
1436/1662	0.060
1497	0.290
1511	0.030
1546/2	0.090
1451/2	0.080
1482/1658	0.070
1451/3	0.080
1408/1659	0.130
1523	0.090
604/4	0.030
604/7	0.040
1363/2	0.070
1406/3	0.040
1419/2	0.120
401/3	0.090
710/2	0.140
1409	0.060
1443	0.140
1500	0.280
586	1.830
1389	0.110
1393	0.090
489	0.600
831/2	0.090
679/1	0.030

(1)	(2)	(1)	(2)
679/3	0.050	1550	0.150
679/6	0.030	723/1692	0.290
698/3	0.200	733	0.170
2/1	0.020	1372	0.080
398	0.080	530/1696	0.050
1457/1673	0.330	528	0.040
1474/1	0.120	619/2	0.330
1278/2	0.250	683/2	0.050
525	1.160	739/2	0.080
612	0.210	760/2	0.180
782	0.250	5	0.500
808	0.990	559/1	1.530
637/2	0.160	678	1.050
643/3	0.190	1343	0.210
741/2	0.300	1345	0.160
1399/1	0.040	1502	0.210
455	0.210	470	0.260
478	0.070	476	0.090
1277	0.660	482	0.080
696/2	0.070	492	0.100
372	0.160	495	0.160
411	0.320	573	0.300
609	0.750	587	0.240
646	0.170	598	0.980
1246	0.200	552	0.220
750/1630	0.200	731	0.140
541	0.030	824	0.040
1513	0.160	1354	0.070
565	0.120	1501	0.070
1535	0.210	710/10	0.300
581/1	0.200	1364/1	0.180
1543/1	0.240	1354/4	0.110
578/1	0.330	1433	0.110
615	0.430	1540/2	0.060
401/1	0.180	4	0.050
671	0.260	408	0.250
724	0.270	674	0.520
791/1635	0.360	811	0.390
766	0.250	856	0.230
1554	0.240	1243	0.010
1450	0.040	1268	1.300
1507	0.170	806	0.650
1517	0.090	813	0.150

(1)	(2)	(1)	(2)
1290	0.010	526	0.200
663/1	0.170	723	0.200
663/3	0.300	764	0.280
1262/2	0.250	179/1684	0.030
452/1	0.130	737/1686	0.140
452/3	0.050	530/1697	0.060
452/6	0.160	1365	0.050
570/2	0.010	632/3	0.100
570/8	0.180	604/2	0.090
662	0.290	604/6	0.040
665/2	0.140	1254	0.310
666/1	0.040	535	0.450
584	0.280	401/2	0.110
627	0.180	710/9	0.140
754	0.080	1569	0.240
770	0.110	623/1631	0.410
787	0.090	451	0.850
632/1	0.770	566	0.560
651	1.120	660	0.470
774	0.500	664	0.310
791	0.500	1448	0.160
450	0.060	1414/1	0.150
457	0.320	1462/1	0.410
491	0.450	526/1693	0.120
464	0.110	764/1703	0.310
729	0.430	656	0.220
1259	0.460	319	0.150
509/2	0.100	511	0.450
575/1	0.270	676	0.600
575/3	0.020	1238	0.090
583	0.100	1240	0.190
591	0.810	1516	0.100
689/2	0.520	1534	0.490
753	0.950	1570	0.160
778	0.070	447	1.250
819	0.280	321	0.300
1274	0.210	460	0.280
1388	0.050	477	0.150
1548/2	0.110	488	0.240
1551	0.140	602	0.570
1555	0.120	576	0.250
1482	0.020	462	0.270
1472/2	0.145	480	0.090

(1)	(2)
484	0.360
502	0.110
466	0.490
483	0.230
490	0.630
603	0.760
1464	0.960
410	0.180
593	0.950
409	0.350
605/2	0.810
610/1	0.710
690/2	0.460
412	0.040
1253/2	0.180
1381	0.150
1402	0.250
1415	0.210
1462/1626	0.610
506	0.480
1429/1668	0.060
1482/1667	0.060
521	0.200
524	0.050
554	0.040
670	0.090
780	0.140
1532	0.130
577	0.610
597	0.540
1247	0.460
613	0.210
626	0.490
655	0.570
1509	0.340
1528	0.070
666/2	0.240
667	0.240
677	0.100
1536	0.190
1538	0.150
1572	0.100
710/1	0.100
710/5	0.030
1287	0.170
1318/2	0.010
1573/3	0.110
1364/5	0.100
1364/7	0.160
713	0.320
731	0.320
799	0.520
1265	0.670
767	0.260
788	0.160
853	0.080
1280	0.270
1251/1	0.100
1374	0.150
1398	0.090
1400	0.120
1557	0.110
1281	0.120
1489	0.330
1499	0.220
1586	0.030
1515	0.280
1353	0.120
1361	0.230
1367	0.040
1491	0.270
400	0.100
632/6	0.060
665/4	0.060
727	0.020
582	0.100
629	0.180
634	0.160
757	0.080
771	0.200
786	0.080
445	0.650
555	0.550
551	0.040
572	0.250

(1)	(2)	(1)	(2)
1498/2	0.180	638/1	0.230
1498/3	0.280	722/4	0.110
1253/1	0.470	735/2	0.400
1253/3	0.220	827/3	0.150
1386	0.200	537	0.110
1391	0.280	619/1	0.330
1416	0.230	683/1	0.050
638/2	0.240	739/1	0.080
703/1	0.070	760/1	0.190
703/4	0.040	1468	0.030
722/2	0.060	772	0.090
735/1	0.300	1356/1	0.030
827/4	0.160	1519	0.810
474	0.470	1525/1	0.390
547	0.390	1356/2	0.140
632/5	0.060	1377	0.100
685	0.030	1494	0.430
686/1	0.030	1503	0.150
686/2	0.040	1505	0.120
687	0.130	1525/2	0.340
1469/1657	0.050	1530	0.120
179	0.030	1533	0.130
515/1	0.250	1539	0.530
1401	0.160	404	0.010
375	0.400	622	0.280
1492	0.610	715	0.700
1568	0.010	1267	0.400
1341	0.010	1271	0.870
1343/1644	0.050	1275	0.230
848/4	0.020	543	0.820
558	0.220	1371	0.160
559/2	0.280	649	1.190
604/3	0.020	809	0.160
1650/2	0.070	1518	0.160
636/4	0.030	814/1	0.170
636/5	0.080	1266/2	0.220
632/4	0.080	1270/1	0.240
1364/3	0.310	1456	0.130
1364/9	0.190	635	0.320
1349/1	0.010	728	1.150
1349/2	0.020	546	0.680
1349/8	0.010	707	0.200
1356/1	0.030	825	0.870

(1)	(2)	(1)	(2)
513	0.190	720/1710	0.040
585	0.280	740	0.250
628	0.180	1370	0.120
756	0.080	1479	1.210
784	0.270	1548/1	0.110
636/3	0.240	1241	0.090
703/2	0.100	1249	0.120
722/3	0.070	1379	0.090
759	0.310	1488	0.530
827/2	0.160	1383	0.350
520	0.450	1521	0.070
523	0.150	1521/1655	0.100
796	1.020	1436/1656	0.060
454	0.490	505/1	0.140
830	0.430	1250	0.020
469	0.410	1429/2	0.090
485	0.080	1542	0.410
487	0.100	1447/1665	0.350
496	0.170	1514/1666	0.170
499	0.300	370	0.010
792	0.170	371	0.140
642/2	0.140	459	0.370
742/2	0.070	461	0.220
742/3	0.240	475	0.320
1285/2	0.160	486	0.090
1373/2	0.060	493	0.120
509/1	0.110	498	0.240
544/1	0.320	599	0.340
714	0.150	793	0.190
802	0.220	550	0.050
812	0.480	1650/1	0.140
1283	0.870	1278/1	0.250
544/2	0.240	514	0.190
553	0.180	630	0.180
669	0.070	633	0.160
823	0.050	755	0.080
841	0.010	773	0.200
578/2	0.130	769/2	0.130
652	0.200	785	0.080
708/10	0.340	320	0.300
737	0.310	449	0.320
530/1695	0.150	456	0.820
772/1706	0.320	463	0.250

(1)	(2)
644	0.220
744	0.170
1242	0.280
581/2	0.190
1434/2	0.080
1543/2	0.040
1543/6	0.080
1543/8	0.140
1582	0.380
816	1.050
योग 910	243.480

ग्राम - लोधिमा

(1)	(2)
356	0.050
336	0.560
366	0.050
377	0.110
936	0.180
937	0.150
938	0.080
939	0.100
940	0.080
371	0.110
82	0.260
372	0.550
339	0.130
375	0.020
363	0.110
335	0.230
364	0.340
365	0.160
370	0.100
378	0.080
334	0.280
337	0.380
367	0.070
379	0.160
102	0.220
108	0.040
318	0.100
322	0.120
338	0.300
5	0.920
99	0.100
100	0.610
307	0.100
340	0.160
308	0.040
341	0.100
107	0.350
362	0.290
328	0.030
329	0.050
18	0.110
22	0.030
114	0.440
117	0.230
331	0.300
359	0.150
323/1	0.050
332/1	0.100
13	0.067
76	0.390
141/1	0.120
319	0.080
321	0.250
325	0.100
333/1	0.100
85	0.250
326	0.040
358	0.140
83	0.220
320	0.450
128	0.020
144	0.160
129	0.180
145	0.040
357	0.280
71	0.730
80	0.430
316	1.270
130	0.170
131	0.160
86	0.260

(1)	(2)
140	0.160
8	0.120
79	0.070
123	0.070
3	0.180
78	0.070
122	0.240
20	0.040
2	0.220
4	0.110
16	0.200
19	0.070
77	0.070
121	0.400
126	0.020
935	0.300
374	0.450
120	0.230
88	0.170
103	0.580
119	0.230
9/1	0.300
118	0.380
14	0.090
23	0.030
113	0.030
116	0.260
15/1	0.100
115/1	0.110
104	0.090
112	0.040
105	0.130
111	0.050
81	0.060
84	0.060
106	0.250
6	0.210
101	0.410
96	0.100
97	0.090
98	0.090
95	0.120
7	0.210
93/1	0.090
92	0.170
91	0.170
93/2	0.080
73	0.210
90	0.160
17	0.470
89	0.130
913	0.100
87	0.220
139	0.020
75	0.170
115/2	0.150
115/3	0.100
9/2	0.150
94	0.160
15/2	0.140
72	0.230
12	0.070
323/2	0.050
9/4	0.040
332/2	0.100
333/2	0.080
74	0.190
10	0.350
11	0.046
योग 140	26.370
महायोग 1050	269.850

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान थर्मल पावर प्लांट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मई 2006

क्रमांक एफ 637/नग्रानि/06.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि जांजगीर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना का (प्रारूप) छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 28-5-2006 को प्रकाशन किया गया है और उसकी एक प्रति इस कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, जांजगीर एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मुंगेली नाका, बिलासपुर में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है. दिनांक 28-5-2006 से नगर पालिका जांजगीर के कम्युनिटी हाल में प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है.

उक्त प्रारूप विकास योजना जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट की गई है.

उक्त प्रारूप विकास योजना के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर, प्रकाशन स्थल एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मुंगेली नाका, बिलासपुर एवं उपरोक्त कार्यालय में छ. ग. राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिन की कालावधि के समाप्त होने के पूर्व भेजा जाना चाहिए.

अनुसूची

(क) भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तथा उसके बारे में वृत्तात्मक रिपोर्ट.

(ख) प्रारूप योजना के उपबंधों का स्पष्ट करने वाले मानचित्रों तथा चार्टों द्वारा प्रमाणित की गई वृत्तात्मक रिपोर्ट.

(ग) प्रारूप योजना की क्रमावस्था को उपदर्शित करने वाला तथा ऐसी रीति कथिक करने वाला टिप्पणी जिसमें विकास करने हेतु अनुज्ञा अभिप्राप्य की जाना है.

(घ) लोक प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जन के खर्चों का तथा योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्वेलित कार्य के खर्च का समुचित प्राक्कलन उपदर्शित करने वाली टिप्पणी.

Raipur, the 18th May 2006

No. F 637/T&CP/06.—Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Janjgir Planning Area will be published on 28-5-2006 in accordance with provisions of sub-section (1) of section 18 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) a copy there of is available for inspection at the Office of the Collector, Distt. Janjgir-Champa, Chief Municipal Officer, Municipal Council Janjgir, Joint Director, Town & Country Planning Mungeli Naka, Bilaspur and Director, Town & Country Planning Raipur during Office hours except holidays. An exhibition is also being organised from 28-5-2006 at Community Hall-Municipal Council Janjgir.

The particulars of the said Draft Plan has been specified in the scheduled below.

If there is any objection or suggestion with respect to the draft plan, it should be sent to the Director, Town and Country Planning Raipur, or Joint Director, Town & Country Planning Mungeli Naka Bilaspur or may be submitted at the venue of exhibition within 30 days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

SCHEDULE

(1) The existing Land use maps and narrative report.

(2) A Narrative report supported maps and charts explaining the provision of the Draft Development Plan.

(3) The phasing of implementation of the Draft Development Plan.

(4) The provision for enforcing the Draft Development Plan and stating the manner in which permission to development may be obtained.

(5) An approximation of the cost of land acquisition for public purposes and the cost of works in volved in the implementation of plan.

एस. एस. बजाज,
संचालक.

कार्यालय, अतिरिक्त तहसीलदार (आबकारी) रायपुर, छ. ग.

रायपुर, दिनांक 24 मई 2006

क्रमांक/आब./बकाया/1863.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है कि आबकारी विभाग, जिला रायपुर के निम्नांकित बकायादार के नाम से उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि की वसूली की जाना है. अतः उनकी चल/अचल संपत्ति के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशनं के 1 माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्रमांक (1)	बकायादार का नाम (2)	नाम दुकान (3)	बकाया वर्ष (4)	बकाया राशि (5)
1.	श्री बलदेव सिंह वल्द, बच्चन सिंह	वि. म. दु. आरंग	2002-03	16,18,509/-

रायपुर, दिनांक 24 मई 2006

क्रमांक/आब./बकाया/1864.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है कि आबकारी विभाग, जिला रायपुर के निम्नांकित बकायादार के नाम से उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि की वसूली की जाना है. अतः उनकी चल/अचल संपत्ति के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशन के 1 माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्रमांक (1)	बकायादार का नाम (2)	नाम दुकान (3)	बकाया वर्ष (4)	बकाया राशि (5)
1.	श्री पंकज गुप्ता वल्द श्री कैलाश गुप्ता	वि. म. दु. रायपुरा रायपुर (छ. ग.)	2002-03	6,87,945/-

एम. आर. ठाकुर,
अति. तहसीलदार (आबकारी).

कार्यालय, कलेक्टर, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 7 मार्च 2006

क्रमांक/371 क./बंधुआ श्रमिक/2006.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधि. 1976 की धारा 13 (2) के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति हेतु निम्नांकित शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों का पुनर्गठन किया जाता है.

1. जिला कार्यपालन दण्डाधिकारी — कलेक्टर बिलासपुर उनके अनुपस्थिति में
2. उनके द्वारा मनोनित व्यक्ति, अध्यक्ष — अति. कलेक्टर
3. जिले में निवासरत अनु. जाति/जनजाति के तीन व्यक्ति. —
   (1) श्री महेश चंद्रिकापुरे पार्षद, बिलासपुर (छ. ग.)
   (2) श्री कल्याण बांधी मसानगंज, बिलासपुर (छ. ग.)
   (3) श्रीमति प्रमिला मरावी पार्षद, बिलासपुर (छ. ग.)
4. राज्य शासन द्वारा मनोनित अधिकारी —
   (1) पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर (छ. ग.)
   (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर (छ. ग.)
   (3) सहा. आयुक्त, आदिवासी विकास बिलासपुर (छ. ग.)

5.	जिले में निवास करने वाले सामाजिक कार्यकर्त्ता	-	(1)	श्री रूद्र अवस्थी (पत्रकार) नव-भारत, बिलासपुर (छ. ग.)
		-	(2)	श्री एस. पी. काले (अधिवक्ता) एवं बी.ए.एम.एस., श्रमिक प्रतिनिधि.
		-	(3)	राजेश मजुमदार (पत्रकार) दैनिक भास्कर, बिलासपुर (छ. ग.)
6.	जिले में कार्यरत बैंक अधिकारी	-	(1)	शाखा प्रबंधक, राज्य सहकारी बैंक, बिलासपुर (छ. ग.)
7.	समिति का संयोजक	-	(1)	सहायक श्रम आयुक्त, बिलासपुर (छ. ग.)

विकासशील,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश एवं अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st April 2006

No. 49/II-14-1/2006 (Pt.-III).—The following officers of this Registry are appointed to the post of Assistant Registrar in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500/-, by way of promotion in officiating capacity for a period of two years with immediate effect i.e. 1st April, 2006.

1. Shri M. P. Bisoi, Section Officer
2. Shri Ashok Kumar Sharma, Section Officer
3. Shri R. K. Tiwari, Librarian
4. Shri Pooran Singh Thakur, Private Secretary.

Bilaspur, the 6th April 2006

No. 184/Confdl./2006/II-3-1-2006.—The following candidate as mentioned in column No. (2), appointed on probation as Civil Judges Class-II in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, is posted at and placed in the capacity as shown against his name in column No. (3) of the table below with a direction to join his place of posting positively within 15 days from the date of this Order :—

TABLE

S. No.	Name & address of newly appointed Civil Judge Class II	Posted As & At
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Dilesh Kumar Yadav, S/o Shri Dhola Lal Yadav, Bhagwati Bhavan, Pachri Para, Durg (C. G.)	I Civil Judge Class-II, Ambikapur.

Bilaspur, the 10th April 2006

No. 192/Confdl./2006/II-2-99/2001.—On the application dated 9-12-2005 of Shri Ashok Kumar Lunia, I Civil Judge Class I & Chief Judicial Magistrate, Bilaspur requesting for change of his home District, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant permission to change his home District from Rajnandgaon to Kabirdham (Kawardha) with a direction that necessary changes be effected in all his records.

Bilaspur, the 12th April 2006

No. 198/Confdl./2006/II-2-3/2002.—The following Members of Higher Judicial Service holding Junior Administrative Grade Scale, non-functional as specified in column No. (2) are hereby granted Selection Grade Scale of Rs. 15,100-400-18,300 (Revised Pay-Scale of Rs. 18750-400-19150-450-21850-500-22,850) from the date mentioned in column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No.	Name of Judicial Officer with present designation	Date of grant of Selection Grade Scale
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Dinesh Kumar Tiwari, President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Bilaspur.	6-3-2006
2.	Shri Ashok Kumar Panda, Additional Registrar (Judl.) High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	6-3-2006
3.	Shri Mahendrapal Singhal, Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Jagdalpur.	6-3-2006

Bilaspur, the 11th May 2006

No. 272/Confdl./2006/II-3-1/2006.—The following candidate as mentioned in column No. (2), appointed on probation as Civil Judges Class-II in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, is posted at and placed in the capacity as shown against his name in column No. (3) of the table below with a direction to join his place of posting positively within 15 days from the date of this Order :—

TABLE

S. No.	Name & address of newly appointed Civil Judge Class II	Posted As & At
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Anand Prakash Wariyal, S/o Shri Dharmanand Wariyal, R-Z-D-1/6-A, Jeevan Park, Uttam Nagar, New Delhi 110059	VI Civil Judge Class-II, Raipur.

Bilaspur, the 12th May 2006

No. 278/Confdl./2006/II-2-1-2006.—The following Member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assume charge of his office; and

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in column No. (5) from the date he assume charge of his office :—

TABLE

S. No.	Name & Present designation	From	To	Sessions Division	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Vijendra Nath Pandey, II Additional District & Sessions Judge.	Durg	Raigarh	Raigarh	II Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 17th May 2006

No. 282/Confdl./2006/II-2-72/2001.—The original seniority of Shri Pradeep Kumar Shrivastava, District & Sessions Judge, Surguja at Ambikapur is, hereby, restored by placing his name above the name of his immediate junior viz. Shri Inder Singh Uboweja, District & Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha) in the gradation list of District Judges (Selection Grade) in the Higher Judicial Service.

By order of the High Court.
RAM KRISHANA BEHAR, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 29 मार्च 2006

क्रमांक 1853/तीन-10-11/2000 (रायपुर-गरियाबंद).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर अपने घोषित कार्यस्थल रायपुर के अतिरिक्त गरियाबंद में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में कार्य करेंगे.

Bilaspur, the 29th March 2006

No. 1853/III-10-11-2000 (Raipur-Gariaband).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the First Additional District and Sessions Judge, Raipur in addition to his place of sitting declared at Raipur, shall also sit at Gariaband on such dates as may be approved by the District and Sessions Judge, Raipur from time to time.

By order of the High Court,
A. R. L. NARAYANA, Additional Registrar.